Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163–2020/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, OCTOBER 31, 2020 (KARTIKA 9, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 31st October, 2020

No. 33-HLA of 2020/83/16641.— The Haryana State Employment of Local Candidates Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 33–HLA of 2020

THE HARYANA STATE EMPLOYMENT OF LOCAL CANDIDATES BILL, 2020

A

BILL

to provide seventy-five percent employment of local candidates by employer in the State of Haryana and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:–

1. (1) This Act may be called the Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020. Short title, extent, commencement and application.

(2) It extends to the whole of the State of Haryana.

(3) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

(4) It shall cease to have effect on the expiry of ten years from the date of its commencement, except as respect things done or omitted to be done before such cesser, and upon such cesser section 6 of the General Clauses Act, 1897 (Central Act 10 of 1897), shall apply as if this Act had then been repealed by a Central or State Act, as the case may be.

(5) This Act applies to all the Companies, Societies, Trusts, Limited Liability Partnership firms, Partnership Firm and any person employing ten or more persons and an entity, as may be notified by the Government, from time to time.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.

(a) "Appellate Authority" means an officer of the Government not below the rank or equivalence of the Labour Commissioner, as may be designated by notification in Official Gazette, by the Government for the purpose of section 9;

(b) "Authorised Officer" means an officer of the Government not below the rank or equivalence of the Sub-Divisional Officer (Civil) or any other officer as may be designated as such by notification in Official Gazette, by the Government for the purpose of section 7;

(c) "Designated Officer" means, an officer of Government not below the rank or equivalence of the Deputy Commissioner as may be designated by notification in Official Gazette, by the Government for the purpose of section 5;

(d) "designated portal" means a portal specifically designed and designated for the purpose of registration of local candidates and employees under sections 3 and 4;

(e) "employer" means a Company registered under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) or a Society registered under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (1 of 2012) or a Limited Liability Partnership Firm as defined under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009) or a Trust as defined under the Indian Trust Act, 1882 (Central Act 2 of 1882) or a Partnership Firm as defined under Indian Partnership Act, 1932 (Central Act 9 of 1932) or any person employing ten or more persons on salary, wages or other remuneration for the purpose of manufacturing or providing any service or such entity, as may be notified by the Government from time to time, but shall not include the Central Government or the State Government or any organisation owned by the Central Government or the State Government;

(f) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(g) "Local Candidate" means a candidate who is domiciled in the State of Haryana;

(h) "State" means the State of Haryana.

Compulsory registration.

3. On and from the date of commencement of this Act, every employer shall, register such employees receiving gross monthly salary or wages not more than fifty thousand rupees or as notified by the Government, from time to time, on the designated portal, within three months of coming into force of this Act:

Provided that no person shall be employed or engaged by any employer till the registration of all such employees is completed on the designated portal.

Explanation.— For the purpose of section 3 and section 4 of this Act, process for registration on designated portal shall be prescribed under the rules notified by the Government, from time to time.

Recruitment of local candidates.

4. After the commencement of this Act, every employer shall employ seventy-five percent of the local candidates with respect to such posts where the gross monthly salary or wages are not more than fifty thousand rupees or as notified by the Government, from time to time:

Provided that the local candidates may be from any district of the State, but the employer may, at his option, restrict the employment of local candidates from any district to ten percent of the total number of local candidates:

Provided further that no local candidate shall be eligible to avail the benefits under this Act unless he registers himself on the designated portal.

Exemption.

5. (1) The employer may claim exemption from the requirement of section 4, where adequate number of local candidates of the desired skill, qualification or proficiency are not available by applying to the Designated Officer in such form and manner, as may be prescribed.

(2) The Designated Officer shall, after such inquiry, as he deems fit and after evaluating the attempt made by the employer to recruit local candidates of the desired skill, qualification or proficiency, may either-

(i) accept the claim of the employer for exemption from the provisions of section 4; or

(ii) reject the claim of the employer for exemption for reasons to be recorded in writing; or

(iii) direct the employer to train local candidates to achieve the desired skill, qualification or proficiency.

(3) Every order made by the Designated Officer under sub-section (2), shall be placed on the website of the Government.

6. Every employer shall furnish a quarterly report, by such date, as may be notified by the Government in the Official Gazette, of the local candidates employed and appointed during that quarter on the designated portal in such form, as may be prescribed. Employer to furnish report.

7. (1) The reports furnished by the employer under section 6 shall be examined by the Authorised Officer. Power to access, verify records and documents.

(2) The Authorised Officer shall have powers to call for any record, information or document in the possession of any employer for the purposes of verifying the report furnished under section 6.

(3) The Authorised Officer, after examination of the report, may pass any order, as may be necessary for complying with the objectives of this Act.

(4) Every such order issued under sub-section (3) shall be placed on the website of Government.

8. (1) Subject to the provisions of this section, the Authorised Officer shall have a right to enter, at all reasonable times with such assistance, as he considers necessary, any place- Power to enter premises and inspection thereof.

(a) for the purpose of performing any of the functions entrusted to him under this Act;

(b) for the purpose of determining whether and if so in what manner, any such functions are to be performed or whether any provisions of this Act or the rules made thereunder are being or have been complied with;

(c) for the purpose of examining any record, register, document when he has reason to believe that an offence under this Act or the rules made thereunder has been or is being committed.

(2) Every employer shall render all assistance to the Authorised Officer under sub-section (1) and in case he fails to do so without any reasonable cause, he shall be guilty of an offence under this Act.

(3) If any person wilfully delays or obstructs the Authorised Officer under sub-section (1) in the performance of his functions, he shall be guilty of an offence under this Act:

Provided that no entry shall be made except between the hours of 0600 and 1800 and notice of the intention to enter is given at least one day prior to the date on which the entry is proposed to be made.

9. (1) Any employer aggrieved by an order passed by the Designated Officer under section 5 or the Authorised Officer under section 7, may within sixty days, prefer an appeal to such Appellate Authority, in such form and in such manner, as may be prescribed. Appeal.

(2) Every appeal preferred under sub-section (1) shall be accompanied by such fees, as may be prescribed.

(3) After the receipt of appeal under sub-section (1), the Appellate Authority shall, after giving the appellant an opportunity of being heard, dispose of the appeal as expeditiously as possible.

(4) The appellate authority may rescind, confirm or modify such order.

(5) The appellate authority shall follow such procedure, as may be prescribed.

10. Save as otherwise expressly provided in this Act, if there is any contravention by the employer of the provisions of this Act or rules made thereunder or of any order in writing given under this Act, he shall be liable to a penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend upto fifty thousand rupees, and if the contravention is still continued after the conviction, then, with further penalty which may extend to one hundred rupees for each day till the time contravention is so continued. General penalty.

Penalty for contravention of section 3.

11. Save as is otherwise expressly provided in this Act, if any employer contravenes the provisions of section 3 of this Act or of any rules made thereunder or of any order in writing given thereunder, he shall be guilty of an offence punishable with penalty which shall not be less than twenty-five thousand rupees but which may extend to one lakh rupees and if the contravention is still continued after conviction, with a further penalty which may extend to five hundred rupees for each day till the time contravention is so continued.

Penalty for contravention of section 4.

12. Save as otherwise expressly provided in this Act, if any employer contravenes provisions of section 4 or of any rules made thereunder or of any order in writing given thereunder, he shall be guilty of an offence punishable with penalty which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees and if the contravention is still continued after conviction, with a further penalty which may extend to one thousand rupees for each day till the time contravention is so continued.

Penalty for disobey of direction issued under section 5.

13. Save as otherwise expressly provided in this Act, if any employer disobeys any order in writing made by the Designated Officer under section 5, he shall be guilty of an offence punishable with penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees and if the contravention is still continued after conviction, with a further penalty which may extend to one hundred rupees for each day till the time contravention is so continued.

Penalty for falsification and non furnishing of records etc.

14. (1) Whoever-

(a) produces false records or counterfeits or knowingly makes or produces or uses a false statement, declaration or evidence regarding any document in connection with compliance of any of the provisions of this Act or any rules made thereunder; or

(b) makes, gives or delivers knowingly a false return, notice, record or report containing a statement, entry or detail,

shall be punishable with penalty which may extend to fifty thousand rupees for each offence.

(2) Where any person convicted of an offence punishable under sub-section (1) is again convicted of an offence under the same provision, he shall be punishable with penalty which shall not be less than two lakh rupees but which may extend to five lakh rupees.

Notice and opportunity to be heard.

15. (1) No order under this Act shall be passed under section 5 or section 7 unless an opportunity of being heard is provided to the employer.

(2) No penalty under this Act shall be imposed unless the person concerned is given a notice in writing by the Designated Officer, informing him of the grounds of penalty which is proposed to be imposed on him and providing him an opportunity to be heard.

Offence by companies.

16. Where a person committing an offence under this Act is a company, every director, manager, secretary, agent or other officer or person concerned with the management thereof shall, unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such offence.

Offence by limited liability partnership firm.

17. Where an offence under this Act committed by a limited liability partnership is proved-

(i) to have been committed with the consent or connivance of a partner or partners or designated partner or designated partners of the limited liability partnership; or

(ii) to be attributable to any neglect on the part of the partner or partners or designated partner or designated partners of that limited liability partnership,

the partner or partners or designated partner or designated partners of the limited liability partnership, as the case may be, as well as that limited liability partnership shall be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Offences by societies or trusts.

18. (1) Where an offence under this Act has been committed by a society or trust, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible for the conduct of the business of the society or the trust, as the case may be, shall be deemed to be guilty of the offence and be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a society or trust and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of any director, manager, secretary, trustee or other officer of the society or trust, such director, manager, secretary, trustee or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Limitation of prosecution and cognizance of offence.

19. (1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act, unless a complaint in respect thereof is made within six months of the date on which the alleged commission of the offence came to the knowledge of the Authorized Officer or Designated Officer.

(2) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act.

Explanation.— For the purposes of this section,-

(a) in the case of a continuing offence, the period of limitation shall be computed with reference to every point of time during which the offence continues;

(b) where for the performance of any act, time is granted or extended on an application made by the employer, the period of limitation shall be computed from the date on which the time so granted or extended expired.

Protection of action taken in good faith.

20. No suit or other legal proceedings shall lie in any Court against any Authorized Officer or Designated Officer or against any person or body of persons acting under the order or direction of such Authorized Officer and Designated Officer for anything which is done in good faith, or intended to be done in pursuance of provisions of this Act.

Power to remove difficulties.

21. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, within a period of two years from the commencement of this Act, by an order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it necessary or expedient for removing the difficulty.

Power to issue directions or orders.

22. The Government may, from time to time, issue directions or order in writing for giving effect to the provision of this Act.

Act to have overriding effect.

23. Notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of such law, the provision of this Act have overriding effect.

Power to make rules.

24. (1) The Government may, by notification, make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall, immediately after it is made, be laid before the Legislature of the State.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To provide reservation to the local candidates of Haryana in private employment under various Companies, Societies, Trusts, Limited Liability Partnerships Firms, Partnership Firm etc. situated in Haryana for a period of ten years, the Government of Haryana has proposed a Bill named as **"The Haryana State Employment of Local Candidates, Bill, 2020."**

The influx of a large number of migrants competing for low-paid jobs places a significant impact on local infrastructure and housing and leads to proliferation of slums. This has led to environmental and health issues which has been acutely felt in the urban areas of Haryana affecting quality of living and livelihood. Therefore, giving preference to local candidates in low-paid jobs is socially, economically and environmentally desirable and any such preference would be in the interests of the general public.

With the enactment of the present Bill, in the interest of public at large, the State is also going to encourage all the private employers in Haryana to boost local employment. The Bill will provide tremendous benefits to the private employers directly or indirectly through qualified and trained local work force. Availability of suitable workforce locally would enhance the efficiency of Industry as the workforce is one of the major components for the development of any industrial organization/factory.

The Bill seeks to achieve above objectives.

The salient features of the Bill are as follows :-

1. To provide at least 75% of employment to the local candidates in various Companies, Societies, Trusts, Limited Liability Partnerships Firms, Partnership Firm etc. situated in the State of Haryana.
2. To provide training to eligible local candidates where qualified or suitable candidates are not available.

Hence the Bill.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 31st October, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 21 and 24 of the proposed Bill empowers the State Government to remove difficulty and to frame rules, respectively for carrying out the purpose of this Act. This delegation of power to the executive is of normal characters. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the rule of procedure and conduct of business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 33 एच.एल.ए.

हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2020

हरियाणा राज्य में नियोक्ता द्वारा स्थानीय उम्मीदवारों का पचहत्तर प्रतिशत नियोजन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ, प्रभावहीनता तथा लागूकरण।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(4) यह इसके प्रारम्भ की तिथि से दस वर्ष की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा, सिवाय ऐसी समाप्ति से पूर्व की गई या लोपित की जाने वाली किन्हीं बातों के संबंध में, तथा ऐसी समाप्ति पर, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 6 लागू होगी मानो यह अधिनियम तब किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निरसित कर दिया गया था।

(5) यह अधिनियम सभी कम्पनियों, सोसाइटियों, न्यासों, सीमित दायित्व भागीदारी फर्मों, भागीदारी फर्म और दस या दस से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाले किसी व्यक्ति और किसी संस्था, जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित की जाए, को लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, सरकार का कोई ऐसा अधिकारी, जो श्रम आयुक्त या उसके समकक्ष रैंक से नीचे का न हो, जिसे धारा 9 के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पदाभिहित किया जाए ;

(ख) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से अभिप्राय है, सरकार का कोई ऐसा अधिकारी, जो उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) या उसके समकक्ष रैंक से नीचे का न हो या कोई अन्य अधिकारी, जिसे धारा 7 के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पदाभिहित किया जाए ;

(ग) ''पदाभिहित अधिकारी'' से अभिप्राय है, सरकार का कोई ऐसा अधिकारी, जो उपायुक्त या उसके समकक्ष रैंक से नीचे का न हो, जिसे धारा 5 के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पदाभिहित किया जाए;

(घ) ''पदाभिहित पोर्टल'' से अभिप्राय है, धारा 3 तथा 4 के अधीन स्थानीय उम्मीदवारों तथा कर्मचारियों के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से डिजाईनड तथा पदाभिहित कोई पोर्टल ;

(ङ.) ''नियोक्ता'' से अभिप्राय है, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन पंजीकृत कोई कम्पनी अथवा हरियाणा रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1) के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी अथवा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अधीन यथा परिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी फर्म अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन यथा परिभाषित कोई न्यास अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम 9) के अधीन यथा परिभाषित कोई भागीदारी फर्म अथवा विनिर्माण के प्रयोजन अथवा कोई सेवा उपलब्ध करवाने के लिए वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर दस या दस से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था, जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित की जाए, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन कोई संगठन शामिल नहीं होगा ;

(च) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(छ) ''स्थानीय उम्मीदवार'' से अभिप्राय है, कोई उम्मीदवार, जो हरियाणा राज्य का अधिवासी हो;

(ज) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य।

3. इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से ही, प्रत्येक नियोक्ता, इस अधिनियम के लागू होने के तीन मास के भीतर, पदाभिहित पोर्टल पर पचास हजार रूपए से अनधिक या सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा अधिसूचित सकल मासिक वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले ऐसे कर्मचारियों को पंजीकृत करेगा : अनिवार्य पंजीकरण।

परन्तु किसी भी नियोक्ता द्वारा कोई भी व्यक्ति तब तक नियोजित या लगाया नहीं जाएगा, जब तक ऐसे सभी कर्मचारियों का पंजीकरण पदाभिहित पोर्टल पर पूरा नहीं किया जाता है।

व्याख्या.– इस अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के प्रयोजनों के लिए, पदाभिहित पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रक्रिया, सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित नियमों के अधीन विहित की जाएगी।

4. इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद, प्रत्येक नियोक्ता, पचास हजार रूपए से अनधिक या सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा अधिसूचित सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों के संबंध में स्थानीय उम्मीदवारों का पचहत्तर प्रतिशत नियोजन करेगा : स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती।

परन्तु स्थानीय उम्मीदवार राज्य के किसी भी जिले से हो सकते हैं, किन्तु नियोक्ता, अपनी पसंद से, स्थानीय उम्मीदवारों की कुल संख्या के दस प्रतिशत तक किसी जिले से स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन निर्बन्धित कर सकता है:

परन्तु यह और कि कोई भी स्थानीय उम्मीदवार, इस अधिनियम के अधीन लाभों के उपभोग हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह अपने आप को पदाभिहित पोर्टल पर पंजीकृत नहीं करवा लेता।

5. (1) नियोक्ता, धारा 4 की अपेक्षा से छूट का दावा कर सकता है, जहां वांछित कौशल, योग्यता या निपुणता के स्थानीय उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या, ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में पदाभिहित अधिकारी को आवेदन करने पर उपलब्ध नहीं है। छूट।

(2) पदाभिहित अधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे और वांछित कौशल, योग्यता या निपुणता के स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती के लिए नियोक्ता द्वारा किए गए प्रयास का मूल्यांकन करने के बाद, या तो–

(i) धारा 4 के उपबन्धों से छूट देने के लिए नियोक्ता के दावे को स्वीकार कर सकता है ; या

(ii) अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से छूट देने के लिए नियोक्ता के दावे को रद्द कर सकता है ; या

(iii) वांछित कौशल, योग्यता या निपुणता को प्राप्त करने के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए नियोक्ता को निर्देश दे सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन पदाभिहित अधिकारी द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश को सरकार की वैबसाइट पर डाला जाएगा।

6. प्रत्येक नियोक्ता, ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में पदाभिहित पोर्टल पर उस तिमाही के दौरान नियोजित और नियुक्त किए गए स्थानीय उम्मीदवारों की तिमाही रिपोर्ट ऐसी तिथि तक प्रस्तुत करेगा, जो सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित की जाए। नियोक्ता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

7. (1) धारा 6 के अधीन नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की जांच प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक पहुँच, सत्यापन करने की शक्ति।

(2) प्राधिकृत अधिकारी को धारा 6 के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का सत्यापन करने के प्रयोजनों के लिए किसी नियोक्ता के कब्जे में किसी अभिलेख, सूचना या दस्तावेज की मांग करने की शक्तियां होगी।

(3) प्राधिकृत अधिकारी, रिपोर्ट की जांच करने के बाद, कोई भी आदेश पारित कर सकता है, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों की अनुपालना करने के लिए आवश्यक हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक ऐसा आदेश सरकार की वैबसाइट पर डाला जाएगा।

परिसरों में प्रवेश करने तथा उनका निरीक्षण करने की शक्ति ।

8. (1) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सहायता सहित, जो वह आवश्यक समझे, सभी युक्तियुक्त समय पर–

(क) इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन हेतु ;

(ख) क्या निर्वहन किए जाने वाले किन्हीं ऐसे कृत्यों या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की अनुपालना की जा रही है या की गई है और यदि हां, तो किस रीति में की गई है, के अवधारण के प्रयोजन हेतु ;

(ग) जब उसे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, के बारे में किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज की जांच के प्रयोजन हेतु,

किसी भी स्थान में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक नियोक्ता उप–धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को सभी सहायताएं देगा और यदि वह किसी युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(3) यदि उप–धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को उसके कृत्यों के निर्वहन में कोई व्यक्ति जानबूझकर विलम्ब करता है या बाधा पहुंचाता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा :

परन्तु कोई भी प्रवेश 06:00 बजे तथा 18:00 बजे के समय के बीच तथा प्रवेश के आशय का नोटिस, तिथि, जिसको प्रवेश किया जाना प्रस्तावित है, से कम से कम एक दिन पूर्व दिए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा।

अपील ।

9. (1) धारा 5 के अधीन पदाभिहित अधिकारी अथवा धारा 7 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई नियोक्ता, ऐसे अपील प्राधिकारी को साठ दिन के भीतर ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अपील कर सकता है ।

(2) उप–धारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील के साथ ऐसी फीस, लगायी जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति के बाद, अपील प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद, यथा संभव शीघ्रता से अपील का निपटान करेगा।

(4) अपील प्राधिकारी ऐसे आदेश को विखंडित, पुष्ट या उपांतरित कर सकता है।

(5) अपील प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाए।

सामान्य शास्ति ।

10. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, यदि नियोक्ता द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों या अधिनियम के अधीन लिखित में दिए गए किसी आदेश की उल्लंघना की गई है, तो वह ऐसी शास्ति, जो दस हजार रूपए से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे पचास हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि उल्लंघना दोषसिद्धि होने के बाद भी जारी रहती है, तो इस प्रकार उल्लंघना जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रूपए तक बढायी जा सकती है, के लिए दायी होगा।

धारा 3 की उल्लंघना के लिए शास्ति ।

11. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, यदि कोई नियोक्ता, इस अधिनियम की धारा 3 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों या इसके अधीन लिखित में दिए गए किसी आदेश की उल्लंघना करता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो पच्चीस हजार रूपए से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे एक लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि उल्लंघना दोषसिद्धि होने के बाद भी जारी रहती है, तो इस प्रकार उल्लंघना जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रूपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी होगा।

धारा 4 की उल्लंघना के लिए शास्ति ।

12. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, यदि कोई नियोक्ता, इस अधिनियम की धारा 4 या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों या इसके अधीन दिए गए लिखित में किसी आदेश की उल्लंघना करता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो पचास हजार रूपए से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे दो लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि उल्लंघना दोषसिद्धि होने के बाद भी जारी रहती है, तो इस प्रकार उल्लंघना जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रूपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी होगा।

13. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, यदि कोई नियोक्ता, धारा 5 के अधीन पदाभिहित अधिकारी द्वारा किए गए लिखित में किसी आदेश की अवज्ञा करता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो दस हजार रूपए से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे पचास हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि उल्लंघना दोषसिद्धि होने के बाद भी जारी रहती है, तो इस प्रकार उल्लंघना जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रूपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी होगा। धारा 5 के अधीन जारी किए गए निर्देश की अवज्ञा के लिए शास्ति ।

14. (1) जो कोई भी– अभिलेख इत्यादि के मिथ्याकरण और प्रस्तुत नहीं करने के लिए शास्ति।

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों की अनुपालना के संबंध में किसी दस्तावेज के बारे में झूठे अभिलेख प्रस्तुत करता है या जालसाजी करता है या जानबूझकर कोई झूठा कथन, घोषणा करता है या साक्ष्य प्रस्तुत करता है या प्रयोग करता है ; या

(ख) विवरण, इन्द्राज या ब्यौरे देते हुए जानबूझकर कोई झूठी विवरणी तैयार करता है, नोटिस देता है, अभिलेख या रिपोर्ट परिदत्त करता है,

तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए ऐसी शास्ति, जो पचास हजार रूपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दण्डनीय होगा।

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध किया गया कोई व्यक्ति उसी उपबन्ध के अधीन किसी अपराध के लिए दोबारा दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो दो लाख रूपए से कम नहीं होगी, किन्तु जो पांच लाख रूपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दण्डनीय होगा।

15. (1) इस अधिनियम की धारा 5 या धारा 7 के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक नियोक्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दे दिया गया हो। सुनवाई का नोटिस तथा अवसर।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक सम्बद्ध व्यक्ति को पदाभिहित अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित शास्ति के आधारों को लिखित में सूचित करने बारे और उसे सुनवाई का अवसर देने बारे नोटिस नहीं दे दिया जाता है।

16. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है, तो उसके प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, अभिकर्ता या अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जब तक वह यह सिद्ध नहीं कर देता है कि अपराध उसके ज्ञान या सहमति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध के दोषी के रूप में समझा जाएगा। कम्पनियों द्वारा अपराध।

17. जहां इस अधिनियम के अधीन किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किया गया कोई अपराध– सीमित दायित्व भागीदारी फर्म द्वारा अपराध।

(i) सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या भागीदारियों या पदाभिहित भागीदार या पदाभिहित भागीदारियों की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया सिद्ध हो जाता है; या

(ii) उस सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार या भागीदारियों या पदाभिहित भागीदार या पदाभिहित भागीदारियों की ओर से किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया सिद्ध हो जाता है,

तो सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार या भागीदारों या पदाभिहित भागीदार या पदाभिहित भागीदारों, जैसी भी स्थिति हो, के साथ–साथ वह सीमित दायित्व भागीदारी भी अपराध के दोषी होंगे और अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होंगे तथा तदनुसार दण्डित किए जाएंगे।

18. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या न्यास द्वारा किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो किए गए अपराध के समय सोसाइटी या न्यास, जैसी भी स्थिति हो, के कार्य संचालन के लिए कार्य प्रभारी था, तथा उत्तरदायी था, को अपराध के दोषी के रूप में समझा जाएगा तथा अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होंगे तथा तदनुसार दण्डित किए जाएंगे : सोसाइटियों या न्यासों द्वारा अपराध।

परन्तु इस उप–धारा में दी गई कोई भी बात, इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दायी नहीं बनाएगी, यदि वह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप–धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या न्यास द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध सोसाइटी या न्यास के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, न्यासी या अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया है, तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, न्यासी या अन्य अधिकारी उस अपराध के दोषी के रूप में समझे जाएंगे और अपने विरूद्ध कार्यवाही के किए जाने के लिए दायी होंगे और तदनुसार दण्डित किए जाएंगे।

अभियोजन की परिसीमा और अपराध का संज्ञान।

19. (1) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक प्राधिकृत अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी द्वारा कथित अपराध होने की जानकारी की तिथि से छह मास के भीतर उसके संबंध में कोई शिकायत नहीं की जाती है।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) अपराध जारी रहने की दशा में, परिसीमा की अवधि, अपराध जारी रहने के दौरान हर समय के संदर्भ में संगणित की जाएगी;

(ख) जहां कोई कार्य करने के लिए, नियोक्ता द्वारा किए गए आवेदन पर समय प्रदान या विस्तारित किया जाता है, तो इस प्रकार प्रदान या विस्तारित समय की समाप्ति की तिथि से परिसीमा की अवधि संगणित की जाएगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण।

20. इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी प्राधिकृत अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी के आदेश या निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्ति–निकाय के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई भी वाद या विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति ।

21. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन्असंगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हों।

निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति।

22. सरकार, समय–समय पर, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने हेतु लिखित में निर्देश या आदेश जारी कर सकती है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

23. तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात से असंगत या ऐसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखत के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध का अध्यारोही प्रभाव होगा।

नियम बनाने की शक्ति ।

24. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, तुरन्त राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा में स्थानीय कम्पनियों में विभिन्न कम्पनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, लिमिटेड देयता, भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म आदि के तहत 10 वर्षों की अवधि के लिए निजी रोजगार में आरक्षण प्रदान करने के लिए, हरियाणा सरकार ने एक विधेयक **हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2020,** स्थानीय उम्मीदवारों के लिये प्रस्तावित किया है।

प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या विशेषतः कम वेतन पर कार्यरत रोजगारों के लिए प्रतिस्पर्धावश स्थानीय आधारिक संरचना, मूलभूत ढाचें व आवास सम्बन्धी सुविधाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है और मलिन बस्तियों का प्रसार करती है, इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य के मुद्दों से सम्बन्धित समस्यों को बढ़ावा मिलता है, जो हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने और आजीविका की गुणवता को प्रभावित करता है तथा शहरीकरण की उच्च गुणवता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए कम वेतन वाली नौकरियों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को वरीयता देना सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से वांछनीय है और ऐसी कोई भी प्राथमिकता आम जनता के हितों में होगी।

हरियाणा के सभी निजी नियोक्ताओं को स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तथा जनता के हित में बड़े पैमाने पर निजी नियोक्ताओं को रोजगार बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने में सफल सिद्ध होगा। यह विधेयक योग्य या प्रशिक्षित स्थानीय कार्यबल/श्रमिक/कर्मचारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निजी नियोक्ताओं को लाभ प्रदान करेगा। स्थानीय स्तर पर उपयुक्त कार्यबल/श्रमिक/कर्मचारियों की उपलब्धता से उद्योग की दक्षता में वृद्धि होगी क्योंकि कार्यबल/श्रमिक/कर्मचारी किसी भी औद्योगिक संगठन/कारखानें के विकास के प्रमुख घटकों में से एक है।

यह बिल उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम होगा।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैः—

1. हरियाणा राज्य में स्थित विभिन्न कम्पनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, लिमिटेड देयता भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म आदि में स्थानीय उम्मीदवारों को कम से कम 75 प्रतिशत रोजगार प्रदान करना।
2. जहां योग्य या उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, वहां स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षण/अन्य कौशल प्रदान करके योग्य बनाना।

दुष्यंत चौटाला,
उप–मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 31 अक्तूबर, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।

विधान को ज्ञापन सौपने बारे

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 21 और 24 में राज्य सरकार को इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रमशः कठिनाई को दूरस्त करने और नियमों को बनाने का अधिकार दिया गया है। इन शक्तियां को प्रदान करना एक सामान्य प्रवति है। इसलिए हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया के संचालन के नियम 126 के तहत आवश्यक रूप में प्रत्यायोजित कानून के बारे में ज्ञापन संलग्न है।

8956—H.V.S.—H.G.P. Pkl.